मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 439/2022 "कौसर अली बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में बिन्दुबार अनुपालन आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 नं0 439/2022 "कौसर अली बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 19.07.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है–

1. Kausar Ali S/o Late Hanif Miya resident of H.No. 393, Rabri Tola, Bajja Khan Immambara, Police Station Baradri, Old City Bareilly, District Bareilly, Uttar Pradesh has sent the present letter petition, which has been treated and registered as original application, complaining that Mukeem S/o Ismile resident of Kasai Tola, Old City Bareilly (Project Proponent) is carrying on meat shop without any license and is selling meat of prohibited animals in said shop which is situated adjacent to the house of the applicant and is at the distance of about 80 steps from the gate of Masjid and Dargah Kalander Shah. The Project Proponent cuts the bones and pieces of the meat with axe and machine operated by illegal use of electricity connection of Mohammad Javed S/o Late Raees Miya resident of 492, Rabri Tola, Bareilly. The Project Proponent is causing environmental pollution by throwing meat waste and also noise pollution which poses health hazards to the residents by spreading diseases.
2. We have considered the matter and we are of the view that the averments made in the application require urgent verification of the facts and immediate remedial action on the basis thereof by the concerned Statutory Authorities. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB, Commissioner, Municipal Corporation, Bareilly and District Magistrate, Bareilly. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.
3. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take remedial action by following due process of law. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial- ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF andnot in the form of Image PDF.
   List the matter for further consideration on 13.10.2022

A copy of this order along with a copy of the application be forwarded to the State PCB, Commissioner, Municipal Corporation, Bareilly and District Magistrate, Bareilly by e-mail for compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 439/2022 "कौसर अली बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 19.07.2022 को पारित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोदय बरेली के आदेश संख्या 441/एन.जी.टी. ओ0ए0 नं0 439/2022 दिनांक 27.07.2022 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम बरेली, नगर मजिस्ट्रेट, बरेली एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली की संयुक्त टीम गठित की गयी **(संलग्नक–1)**।

उक्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कृत कार्यवाही की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् है–

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में शिकायतकर्ता श्री कौसर अली पुत्र स्व0 हनीफ मियॉ द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित शिकायत दिनांक 26.03.2022 के दृष्टिगत शिकायती स्थल श्री मुकीम पुत्र श्री इस्माईल, निवासी कसाई टोला, पुराना शहर, बरेली द्वारा मीट शॉप का संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण नगर मजिस्ट्रेट, बरेली, नगर निगम, बरेली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.08.2022 को शिकायतकर्ता श्री कौसर अली पुत्र स्व0 हनीफ मियॉ की उपस्थिति में किया गया। संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण के समय मीट शॉप के मालिक श्री मुकीम पुत्र श्री इस्माईल उपस्थित नहीं थे।
2. संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण के समय मीट शॉप बन्द पायी गयी, इस सम्बन्ध में आस–पास के उपस्थित नागरिको से जानकारी प्राप्त की गयी। उपस्थित नागरिकों द्वारा अगवत कराया गया कि मीट शॉप के मालिक द्वारा विगत दो माह से मीट शॉप बन्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में उपस्थित शिकायतकर्ता श्री कौसल अली पुत्र स्व0 श्री हनीफ मिया द्वारा भी विगत दो माह से बन्द होने की पुष्टि की गयी। शिकायकर्ता द्वारा दिनांक 10.08.2022 को निरीक्षण/सर्वेक्षण के समय उक्त मीट शॉप से मुझे कोई आपत्ति एवं शिकायत नहीं है, के सम्बन्ध में लिखित पत्र भी प्रस्तुत किया गया है **(संलग्नक–2)**। संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है **(संलग्नक–3)**।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सन्दर्भित वाद ओ0ए0 नं0 439/2022 ''कौसर अली बनाम स्टेट आफ उ0प्र0'' में दिनांक 19.07.2022 में याचिकाकर्ता श्री कौसर अली पुत्र स्व0 श्री हनीफ मियॉ द्वारा की गयी शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

10/8/22

(विमल कुमार राजपूत)
वैज्ञानिक सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली

(जीतेन्द्र लाल)
पर्यावरण अभियंता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली

(डा0 अशोक कुमार)
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम
बरेली

(अजीत कुमार सिंह)
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम
बरेली

(राकेश कुमार गुप्ता)
नगर मजिस्ट्रेट
बरेली

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बरेली।

विषय—शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निवेदन है कि कौसर अली पुत्र स्व0 श्री हनीफ मिया, मकान नं0 493, रबड़ी टोला, बज्जा खां का इमामबाड़ा, पुराना शहर, थाना बरादरी, जिला बरेली द्वारा दिनांक 26.03.2022 को जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सम्बोधित एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से मीट शॉप के विरूद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त मीट शॉप के मालिक श्री मुकीम पुत्र श्री इस्माईल, निवासी कसाई टोला, पुराना शहर, बरेली द्वारा मीट शॉप को विगत दो माह से पूर्णतः बन्द कर दी गयी है।

अतः महोदय मेरी शिकायत का समाधान हो गया है, मुझे कोई आपत्ति एवं शिकायत नहीं है।

दिनांक— 10-8-2022

प्रार्थी
Kauzar Ali
कौसर अली पुत्र स्व0 श्री हनीफ मिया
मकान नं0 493, रबड़ी टोला,
बज्जा खां का इमामबाड़ा,
पुराना शहर, थाना बरादरी,
जिला बरेली

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली

सन्दर्भ संख्याः– 441 / N4T O.A No.-439 / 2022 दिनांक–27/7/22

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 439/2022 ''कौसर अली बनाम स्टेट आफ उ0प्र0'' में दिनांक 19.07.2022 को जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति गठित की जाती है–

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली/नामित सदस्य।
2. नगर मजिस्ट्रेट बरेली/नामित सदस्य।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली/नामित सदस्य।

उक्त संयुक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुसार उक्त वाद में ''श्री मुकीम पुत्र श्री इस्माईल, निवासी कसाई टोला, पुराना शहर, बरेली द्वारा प्रतिबन्धित पशुओं के मीट के कारोबार से हो रहे प्रदूषण'' की तत्काल जांच कर निर्धारित समयान्तर्गतं कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये, कृत कार्यवाही की आख्या अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की ई–मेल judicial-ngt@gov.in पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
जिलाधिकारी
बरेली

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
2. नगर मजिस्ट्रेट, बरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ कि संयुक्त समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर यथा आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
बरेली

O/C